

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-29-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : झाबुआ जिला : झाबुआ

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—दुधी 2. नवीन ग्राम—खजुरखो प.ह.नं. 83.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.

तहसील : मेघनगर जिला : झाबुआ

2.	1. मूल ग्राम—गुवाली 2. नवीन ग्राम—बाड़ीसेरा 3. नवीन ग्राम—दोतड़ 4. नवीन ग्राम—केलकुआ 5. नवीन ग्राम—कोयादरिया प.ह.नं. 08.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.
----	--	--

तहसील : पेटलावद जिला : झाबुआ

3.	1. मूल ग्राम—मोहनकोट 2. नवीन ग्राम—सेमलकुण्डिया (नियमित) 3. नवीन ग्राम—मोरझरिया प.ह.नं. 29.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला झाबुआ.
4.	1. मूल ग्राम—करडावद 2. नवीन ग्राम—ठीकरिया पाड़ा प.ह.नं. 08.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-29-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-29-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-29-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Jhabua

District : Jhabua

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Dudhee 2. New Vill.—Khjurkho P.H.No.—83.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.

Tahsil : Meghnagar

District : Jhabua

2.	1. Org. Vill.—Guwali 2. New Vill.—Bandisera 3. New Vill.—Dotad 4. New Vill.—Kelkuwa 5. New Vill.—Koyadriya P.H.No.—08.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.
----	--	--

Tahsil : Petlawad

District : Jhabua

3.	1. Org. Vill.—Mohankot 2. New Vill.—Semalkundya 3. New Vill.—Morzriya P.H.No.—29.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Jhabua.
4.	1. Org. Vill.—Kardawad 2. New Vill.—Thikripada P.H.No.—08.	

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

एफ क्र. 15-30-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : जीरन

जिला : नीमच

क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)

1.	1. मूल ग्राम—घसुण्डी जागीर 2. नवीन ग्राम—खडवेल्वा 3. नवीन ग्राम—गांधीपुरा प.ह.नं. 10.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	---	---

(1)	(2)	(3)
2.	1. मूल ग्राम—पालसोड़ा 2. नवीन ग्राम—जैतपुरा 3. नवीन ग्राम—देवीपुरा प.ह.नं. 18.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
3.	1. मूल ग्राम—कुचड़ोद 2. नवीन ग्राम—धोकलखेड़ा प.ह.नं. 23.	

तहसील : जावद

जिला : नीमच

4.	1. मूल ग्राम—बागरेड 2. नवीन ग्राम—बागरेड का खेड़ा प.ह.नं. 43.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	--	--

तहसील : रामपुरा

जिला : नीमच

5.	1. मूल ग्राम—जन्नौद 2. नवीन ग्राम—हरिपुरा प.ह.नं. 80.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	---	--

तहसील : मनासा

जिला : नीमच

6.	1. मूल ग्राम—ढोढर ब्लाक 2. नवीन ग्राम—हामाखेड़ी 3. नवीन ग्राम—नई ननौर प.ह.नं. 56.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला नीमच.
----	--	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जून 2013

क्र. एफ 15-30-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-15-30-2013-सात-6, दिनांक 26 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th June 2013

F. No. 15-30-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be

prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Jeeran

District : Neemuch

S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Ghasundi Jageer 2. New Vill.—Khadweliya 3. New Vill.—Gandhi pura P.H.No.—10.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Neemuch.
2.	1. Org. Vill.—Palsoda 2. New Vill.—Jaitpura 3. New Vill.—Devipura P.H.No.—18.	
3.	1. Org. Vill.—Kuchrod 2. New Vill.—Dhokalkheda P.H.No.—23.	

Tahsil : Jawad

District : Neemuch

4.	1. Org. Vill.—Bangred 2. New Vill.—Bangred ka Kheda P.H.No.—43.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Neemuch.
----	--	--

Tahsil : Rampura

District : Neemuch

5.	1. Org. Vill.—Jannod 2. New Vill.—Haripura P.H.No.—80.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Neemuch.
----	--	--

Tahsil : Manasa

District : Neemuch

6.	1. Org. Vill.—Dhodhar Block 2. New Vill.—Hamakhedi 2. New Vill.—Nayi Nanor P.H.No.—56.	Superintendent of Land Records (Regular), District—Neemuch.
----	---	--

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.